Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में रोडवेज मुख्य प्रबन्धक भीलवाडा के लिए 8500/रूपये रिश्वत लेते दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *17 फरवरी, शुक्रवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसयू–द्वितिय इकाई जयपुर द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये भीलवाडा आगार के मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत के लिए **8500/–रूपये** की रिश्वत लेते दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) बद्रीलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एसयू–द्वितिय इकाई जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसे रोडवेज बस में बस सारथी के रूप में लगाये जाने और लगातार ड्यूटी देने तथा बस की आकस्मिक चैकिंग नही करने की एवज में भीलवाडा आगार के मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत व उसके दलाल बद्रीलाल द्वारा मासिक बंधी के रूप में **8500/–रूपये** प्रति माह रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी की एसयू–द्वितिय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्राईवेट व्यक्ति बद्रीलाल को भीलवाडा आगार के मुख्य प्रबन्धक परमवीर सिंह राणावत के लिए **8500/–रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।